

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

गौतम नगर, भोपाल 462023

दूरभाष 91-0755-2583650 फेक्स 2583651 ई-मेल dpimp@sancharnet.in

क्रमांक / स्था.4 / सी / अं.जि.स्थानां. / 12 / 2010 / 747

भोपाल, दिनांक 15.06.2010

// आदेश //

निम्नांकित कर्मचारियों का स्वेच्छा के आधार पर अंतर जिला स्थानांतरण समान सामार्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख अंकित जिले में किया जाता है:-

| क्रं. | नाम एवं पदनाम | वर्तमान पदस्थापना एवं जिला | स्थानांतरित जिले का नाम |
|-------|---|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | श्री धर्मेन्द्र कुमार मिश्रा, भृत्य (UNIQUE CODE-BQ2963) | शा.मा.शाला जूनापानी संकुल केन्द्र कुकडेश्वर जिला नीमच (DISE CODE- 23180511402) | दमोह |
| 2 | श्रीमती सरिता कोरी, भृत्य (UNIQUE CODE-AS4229) | शा. आदर्श उ.मा.वि. गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर (DISE CODE- 23400577705) | सागर |
| 3 | श्रीमती ममता ठक्कर, भृत्य (UNIQUE CODE- AH6719) | शा. हाईस्कूल सरदार पटेल, दमोह (DISE CODE-23120366604) | उज्जैन |

2/ उक्त जिला संवर्गीय स्थानांतरित कर्मचारियों की वर्तमान जिले की वरिष्ठता का लाभ नवीन जिले के लिए मान्य नहीं होगा । नवीन जिले में इनकी वरिष्ठता उनके संस्था में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निर्धारित होगी ।

3/ उक्त सभी स्थानांतरण स्वेच्छा से होने के कारण इन्हें किसी भी प्रकार के यात्रा भत्ते की पात्रता नहीं होगी- ।


4/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्था प्रधान द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि स्थानांतरित कर्मचारी शिक्षा विभाग के ही कर्मचारी हैं । पुष्टि होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जाये ।

5/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यह भली-भांती परीक्षण कर लिया जाए कि संबंधित कर्मचारी वास्तव में उसके स्थान/पद पर पदस्थ हैं जहाँ से उन्हें स्थानांतरित किया जा रहा है। पूर्ण आश्वस्त व शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका से सत्यापन होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे । यदि संबंधित कर्मचारी के बारे में किसी प्रकार की कोई त्रुटिपूर्ण विसंगति अथवा विपरीत तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उसके विरुद्ध कोई विभागीय जाँच/आपराधिक प्रकरण लंबित हो तो कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण न कराते हुए वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से अवगत करायें ।

6/ जिला शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रमुख स्थानांतरित कर्मचारी को नवीन जिले द्वारा पदस्थापना आदेश जारी करने के उपरांत ही कार्यमुक्त करेंगे । साथ ही संबंधित कर्मचारी का भी यह दायित्व होगा कि नवीन जिले के संबंधित अधिकारी द्वारा जारी पदस्थापना आदेश प्राप्त होने पर ही वह कार्यमुक्त होगा ।

निरंतर . . .


7/ स्थानांतरित कर्मचारी की पदस्थापना स्थानांतरित जिले के संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा एक सप्ताह में की जाए। पदस्थापना अगदेश जारी होने के उपरांत ही संबंधित कर्मचारी को कार्यमुक्त किया जाए। कार्यमुक्ती उपरांत कर्मचारी को नवीन स्थान में तत्काल उपस्थित होना होगा। कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उसे अवकाश की पात्रता नहीं होगी।


आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृष्ठां.क्र./स्था.4/सी/अं.जि.स्थानां./12/2010/748
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 15.06.2010

1. विशेष सहायक, मान. स्कूल शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल सूचनार्थ प्रेषित।
2. विशेष सहायक, मा. राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा मध्यप्रदेश शासन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, (मंत्रालय) वल्लभ-भवन, भोपाल।
4. कलेक्टर, जिला-नीमच/दमोह/नरसिंहपुर/सागर/उज्जैन, म.प्र.।
5. संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, संभाग सागर/उज्जैन/जबलपुर, मध्यप्रदेश।
6. संयुक्त संचालक (समन्वय) स्थानीय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
7. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-नीमच/दमोह/नरसिंहपुर/सागर/उज्जैन, म.प्र.।
8. प्राचार्य, शा. आदर्श उ.मा.वि. गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर, म.प्र.।
9. प्राचार्य, शा. हाईस्कूल सरदार पटेल, दमोह।
10. प्रधानाध्यापक, शा.मा.शाला चूनापानी संकुल केन्द्र कुकडेश्वर जिला नीमच।
11. ओ.एस.डी. स्थापना-4 (स्थानीय)।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
12. संबंधित कर्मचारीगण की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।


आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

Email

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

गौतम नगर, भोपाल 462023

दूरभाष 01-0795-2583850 फेक्स 2583851 ई-मेल dpump@sancharnet.in

क्रमांक./स्था.4/सी/अ.जि.स्थानां./05/2010/749

भोपाल, दिनांक 15.06.2010

// आदेश //

निम्नांकित कर्मचारियों का स्वेच्छा के आधार पर अंतर जिला स्थानांतरण समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख अंकित जिले में किया जाता है:-

| क्र. | नाम एवं पदनाम | वर्तमान पदस्थापना एवं जिला | स्थानांतरित जिले का नाम |
|------|--|---|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | श्रीमती सुनीता देवी शुक्ला, भृत्य (UNIQUE CODE- BR2688) | शा.क.उ.मा.वि. नीमचनगर, जिला नीमच (DISE CODE- 23180777703) | रीवा |
| 2 | श्री तलवेन्द्र कदम, भृत्य (UNIQUE CODE-BN7220) | शा. मा.शा. मेहुती, जिला सतना (DISE CODE- 23130304108) | ग्वालियर |

2/ उक्त जिला संवर्गीय स्थानांतरित कर्मचारियों की वर्तमान जिले की वरिष्ठता का लाभ नवीन जिले के लिए मान्य नहीं होगा। नवीन जिले में इनकी वरिष्ठता उनके संस्था में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निर्धारित होगी।

3/ उक्त सभी स्थानांतरण स्वेच्छा से होने के कारण इन्हें किसी भी प्रकार के यात्रा भत्ते की पात्रता नहीं होगी।

4/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्था प्रधान द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि स्थानांतरित कर्मचारी शिक्षा विभाग के ही कर्मचारी हैं। पुष्टि होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जाये।

5/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यह भली-भांती परीक्षण कर लिया जाए कि संबंधित कर्मचारी वास्तव में उसके स्थान/पद पर पदस्थ हैं जहाँ से उन्हें स्थानांतरित किया जा रहा है। पूर्ण आश्वासन व शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका से सत्यापन होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे। यदि संबंधित कर्मचारी के बारे में किसी प्रकार की कोई त्रुटिपूर्ण विसंगति अथवा विपरीत तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उसके विरुद्ध कोई विभागीय जाँच/आपराधिक प्रकरण लंबित हो तो कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण न कराते हुए वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से अवगत करायें।

6/ जिला शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रमुख स्थानांतरित कर्मचारी को नवीन जिले द्वारा पदस्थापना आदेश जारी करने के उपरांत ही कार्यमुक्त करेंगे। साथ ही संबंधित कर्मचारी का भी यह दायित्व होगा कि नवीन जिले के संबंधित अधिकारी द्वारा जारी पदस्थापना आदेश प्राप्त होने पर ही वह कार्यमुक्त होगा।

निरंतर ...


7/ स्थानांतरित कर्मचारी की पदस्थापना स्थानांतरित जिले के संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा एक सप्ताह में की जाए। पदस्थापना आदेश जारी होने के उपरांत ही संबंधित कर्मचारी को कार्यमुक्त किया जाए। कार्यमुक्ती उपरांत कर्मचारी को नवीन स्थान में त काल उपस्थित होना होगा। कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उसे अवकाश की पात्रता नहीं होगी।


आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृष्ठां.क्र./स्था.4/सी/अं.जि.स्थानां./03/2010/750
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 15.06.2010

1. विशेष सहायक, मान. स्कूल शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल सूचनार्थ प्रेषित।
2. विशेष सहायक, मा. राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा मध्यप्रदेश शासन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, (मंत्रालय) वल्लभ-भवन, भोपाल।
4. कलेक्टर, जिला-नीमच/रीवा/सतना/ग्वालियर, म.प्र.।
5. संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, संभाग उज्जैन/रीवा/ग्वालियर, म.प्र.।
6. संयुक्त संचालक (समन्वय) स्थानीय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
7. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-नीमच/रीवा/सतना/ग्वालियर, म.प्र.।
8. प्राचार्य, शा.क.उ.मा.वि. नीमचनगर, जिला नीमच।
9. प्रधानाध्यापक, शा. मा.शा. मेहुती, जिला सतना
10. ओ.एस.डी. स्थापना-4 (स्थानीय)।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
12. संबंधित कर्मचारीगण की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।


आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

गौतम नगर, भोपाल 462021

दूरभाष 91-0755-2583650 फेक्स 2583651 ई-मेल dpimp@sancharnet.in

क्रमांक / स्था.4 / सी / अं.जि.स्थानां. / 08 / 2010 / 765 भोपाल, दिनांक 15.06.2010

// आदेश //

श्री हमीदुल्ला खॉं, भृत्य (UNIQUE CODE - AA3503) शा. उ.मा.वि. निशातपुरा करोंद भोपाल (DISE CODE - 23320303002) का स्थानांतरण समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में लोक शिक्षण संचालनालय, म.प्र. भोपाल में निम्नलिखित शर्तों के आधार पर स्वेच्छा से किया जाता है :-


- 1/ उक्त स्थानांतरण स्वेच्छा से होने के कारण इन्हें किसी भी प्रकार के यात्रा भत्ते की पात्रता नहीं होगी ।
- 2/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्था प्रधान द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि स्थानांतरित कर्मचारी शिक्षा विभाग के ही कर्मचारी हैं । पुष्टि होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यभुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जाये ।
- 3/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यह भली-भांती परीक्षण कर लिया जाए कि संबंधित कर्मचारी वास्तव में उसके स्थान/पद पर पदस्थ हैं जहाँ से उन्हें स्थानांतरित किया जा रहा है। पूर्ण आश्वस्त व शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका से सत्यापन होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यभुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे । यदि संबंधित कर्मचारी के बारे में किसी प्रकार की कोई त्रुटिपूर्ण विसंगति अथवा विपरीत तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उसके विरुद्ध कोई विभागीय जाँच/आपराधिक प्रकरण लंबित हो तो कार्यभुक्त/कार्यभार ग्रहण न कराते हुए वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से अवगत करायें ।
- 4/ संबंधित का स्थानांतरण स्वेच्छा के आधार पर होने के फलस्वरूप संबंधित की वरिष्ठता लोक शिक्षण संचालनालय, म0प्र0 भोपाल में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से ही मान्य की जावेगी तथा संबंधित को पूर्व की वरिष्ठता त्यागनी होगी ।


आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

...निरंतर...

पृष्ठां.क्रमांक/स्था.4/सी/अं.जि.स्थानां./08/2010/766 भोपाल, दिनांक 15.06.2010
प्रतिलिपि:—

1. विशेष सहायक, मान. स्कूल शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल सूचनार्थ प्रेषित् ।
2. विशेष सहायक, मा. राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा मध्यप्रदेश शासन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित् ।
3. सहायक संचालक (लेखा) स्थानीय की ओर सूचनार्थ अग्रेषित् ।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-भोपाल मध्यप्रदेश ।
5. प्राचार्य, शा. उ.मा.वि. निशातपुर, करोंद भोपाल ।
6. स्थापना-4 कक्ष (स्थानीय) की टेबल "ए" "बी" "डी" एवं "एफ" की ओर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित्
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
7. संबंधित श्री हमीदुल्ला खॉ भृत्य, शा. उ.मा.वि. निशातपुर, करोंद भोपाल, म0प्र0।
की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।


अयुक्त
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश